TWENTY RUPEES TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(112) प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर. / निग. / इंदौर / भू.रा. / 2018 / 1188

1. श्रीमती शांतबाई पत्नी श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम करनावद, तहसील बगली, जिला देवास (म.प्र.)
2. श्रीमती बन्दना पत्नी श्री हेमन्त निवासी ग्राम चापडा, तहसील बगली, जिला देवास (म.प्र.)
3. श्रीमती चंदाबाई पत्नी श्री ललितशंकर निवासी ग्राम खडरीपाला, तहसील साम्बलिया, साम्बलिया, जिला डोंगरपुर, राजस्थान
4. सोमेश्वर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र,
5. दिलीप पुत्र श्री जगदीश चन्द्र,
6. जगदीश पुत्र श्री नागेश्वर,
7. सिद्धेश्वर पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, निवासीगण – ग्राम गुराडियाकला, तहसील बांगली, जिला देवास (म.प्र.)
8. श्रीमती संगीता पत्नी श्री सुरेश, निवासी ग्राम सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.) –– आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती मीनाक्षी पत्नी स्व. प्रकाशचन्द्र पालीवाल,
2. निलेश कुमार पुत्र स्व. प्रकाशचन्द्र पालीवाल,
3. आशीष पुत्र स्व. प्रकाशचन्द्र पालीवाल, निवासी ऑपोजिट वर्मा पेट्रोल पम्प, जल चक्की, कांकरोली, जिला राजसमंद, राजस्थान,
4. श्रीमती शैलबाला पत्नी भूपेश पालीवाल निवासी ग्राम रामपुरा, नाथद्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान –– अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के विरूद्ध आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के प्रकरण क्रमांक 261 / अपील / 2017–18 से परिवेदित होकर।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/1188

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-2018	आवेदकगण की ओर से श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता व स्थगन पर सुना गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 6-2-2018 की सत्यप्रतिलिपि एवं आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत खसरे की प्रति का अवलोकन किया गया । आवेदक के पक्ष को देखते हुए राजस्व अभिलेखों में आगामी 3 माह तक यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश दिये जाते हैं । उपरोक्त निर्देशों के साथ यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अपर आयुक्त 3 माह में विधि अनुसार प्रकरण का अंतिम निराकरण करें । अध्यक्ष	